तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 134/2024 (2024/322) अनवान मैसर्स भीष्म इन्टर प्राईजेज लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिध झूमललाल पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी पंजीकृत कार्यालय 224 द्वितीय फलौर राजदान मेशन जालोरीगेट जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम	
01-4-2025	पत्रावली पेश हुई है। प्रार्थी मैसर्स भीष्म इन्टर प्राईजेज लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधी झूमरलाल पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी पंजीकृत कार्यालय 224 द्वितीय फ्लौर राजदान मेशन जालोरीगेट जोधपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी पंजीकृत फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि है, फर्म की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 725/2, 725/3, 761/721 व 722/1 वाके ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी की भूमियों का तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2024/235-236 दिनांक 23.01.2024 की पालना में दिनांक 03.02.2024 को हल्का पटवारी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक गुडा विश्नोईयान द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया तथा मौके पर सीमा चिन्ह बताये गये। बारिस होने के कारण अकारण ही विवाद की स्थिति बन गई, विवाद की स्थिति से बचने व अनावश्यक विवाद से रूकने के लिये पत्थर गढी किया जाना कानूनी लाजमी है। इस कारण से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 725/2, 725/3, 761/721 व 722/1 ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी की पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश किये जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के जवाब अनुसार खसरा नम्बर 725/2 रकबा 13.07 बीघा, 725/3 रकबा 10 बीघा, 722/1 रकबा 21.07 बीघा, 761/721 रकबा 17.03 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी के फर्म के नाम ग्राम गुडा विश्नोईयान राईकान में आई हुई है। खसरा नम्बर 722/1, 761/721 व 725/3 का रकबा राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर 5.06 बीघा भूमि कम होना बताया। पड़ौसी खसरा नम्बर 725 व 725 के बटटा नम्बरान की भूमि मौके पर ज्यादा है। जिसके खातेदार छोटीदेवी पत्नि प्रेमाराम, अनोप पुत्र दौलाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार है। इसी तरह खसरा नम्बर 830/725 रकबा 15 बीघा के खातेदार पोकरराम पुत्र सुराराम जाति विश्नोई है। उक्त प्रभावित खसरान के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 725/2 का रकबा राजस्व रेकर्ड अनुसार 13.07 बीघा है परन्तु मौके पर 8.01 बीघा ही है इस तरह से 8.01 बीघा मौके पर है तथा 5.06 बीघा कम है इस तरह से प्रार्थी का मौके पर वास्तविक कब्जा होना नही पाया जाना प्रतीत होता है तथा सम्बन्धित खातेदारों से कब्जा लिया जाकर पत्थरगढी करवानी है जिन्हे पक्षकार नही बनाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	